

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.21(9) 2025-26/विकास/प्रमुखसं/ 2576

दिनांक : 24/07/2025

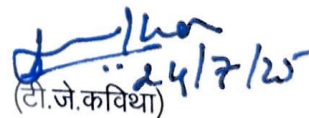
कार्यालय आदेश

मिशन हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधे उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2025-26 में 12 माह के पौध तैयारी हेतु राज्य वन विकास अभिकरण के बैंक खाते में पौध वितरण से प्राप्त आय से निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है। 12 माह के तैयार किये जा रहे पौधों का वितरण वर्ष 2026-27 में किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि बजट प्राप्ति के 3 दिवस में आप उक्त बजट संबंधित कार्यालयों को आवंटित कर इस कार्यालय को भी सूचित करावें।

मुख्य वन संरक्षक	(Phy. Lac no. of plants)	
	Plants raised in 2025-26 for distribution in 2026-27	
	12 माह के पौध तैयारी हेतु दर रु. 9.83 प्रति पौधा	
	Phy.	Fin.
जयपुर	15.00	147.45
जोधपुर	10.00	98.30
उदयपुर	20.00	196.60
भरतपुर	10.00	98.30
अजमेर	10.00	98.30
बीकानेर	15.00	147.45
कोटा	15.00	147.45
वन्यजीव, उदयपुर	5.00	49.15
कुल योग	100.00	983.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-

1. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. यह महत्वपूर्ण योजना है इसलिए अनिवार्यतः शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का समर्पण स्वीकार्य नहीं होगा।
5. वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

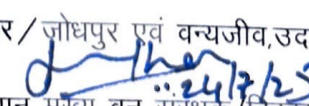

(टी.जे.कविथा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.21(9) 2025-26/विकास/प्रमुखसं/ 2577-2585 दिनांक : 24/07/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/ अजमेर/जोधपुर एवं वन्यजीव, उदयपुर


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर